

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को सं० सं० 513/36-1-2016-1075 (एरा० टी०)/85, दिनांक 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर पर जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2021 के औसत अंक 358 (तीन सौ अट्ठावन) पर दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी का शतप्रतिशत निश्चयावली करके विशेष भत्ता देय है।

दृष्टांत - ₹० 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.04.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक देय विशेष भत्ता निम्नवत् है :-

$$(358 - 239) \times 6350 = 3161.71 \text{ ₹० प्रतिमाह}$$

239

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय विशेष भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेंट के वर्ग	श्रेणी	मूलतः	विशेष भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के बाया, होटल और रेस्टोरेंट एव सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	3161.71	9511.71	365.83
	अर्द्धकुशल	7000	3485.35	10485.35	403.28
	कुशल	7840	3903.59	11743.59	451.67
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के बाया होटल और रेस्टोरेंट एव सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	3350.92	10080.92	387.72
	अर्द्धकुशल	7420	3694.47	11114.47	427.47
	कुशल	8370	4137.61	12447.61	478.75
	अति कुशल	8975	4468.72	13443.72	517.06
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय	अकुशल	7540	3754.22	11294.22	434.39
	अर्द्धकुशल	8980	4471.21	13451.21	517.35
	कुशल	10640	5297.74	15937.74	612.99
	अति कुशल	12565	6256.21	18821.21	723.89

(आर०पी० गुप्ता)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृ० श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या: 2422-26/आई०आर०-2022 (विशेष भत्ता)

दिनांक 04.03.2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराए तथा श्रमिकों, रोजावोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
- पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
- प्रमारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- उप श्रम आयुक्त, नजारात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(आर०पी० गुप्ता)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृ० श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।